


आवश्यक सूचना

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि सीवर मन्टीनेन्स शुल्क दिनांक 31.03.2017 तक एकमुश्त बकाया भुगतान करने पर 18 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ जमा कराये जाने की छूट प्रदान की गयी है। यह छूट दिनांक 31.03.2017 तक ही उपलब्ध है। दिनांक 31.03.2017 के पश्चात सीवर मन्टीनेन्स चार्ज जमा करने पर पूर्व की भाँति 18 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कराना होगा। दिनांक 07.12.2016 से पूर्व जिन आवंटियों द्वारा सीवर मन्टीनेन्स शुल्क की धनराशि जमा की जा चुकी है। वह समायोजित नहीं होगी।


सचिव